न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 108/21 वर्ष 2021
GCMS No- 2021/270

बउनवानी:— 1. ओमलाल पुत्र श्री मोतीलाल मीना निवासी ग्राम कावड तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए–45–46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर
3. रेवडीलाल पुत्र उदयलाल मीना निवासी कावड, तहसील सवाईमाधोपुर
4. समोद्रा पत्नि उदयलाल मीना निवासी कावड, तहसील सवाईमाधोपुर

(मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/343 दिनांक 3.8.2021 खसरा नम्बर 467 रकबा 0.74 है0वाके ग्राम कावड पर लगे हुए अमरूद्व, के पेडो की उम्र व संख्या का उचित मूल्यांकन कर मुआवजा देने बाबत।

उपस्थितः—1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री अशोक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2
3. श्री अनुज वेदी — वकील अप्रार्थी 3,4

—: निर्णय :— दिनांकः— 12.10.2022

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु प्रार्थी की अवाप्त खातेदारी भूमि ख0न0 467 रकबा 0.74 है0 भूमि पर उगे हुए अमरूद्व, के पेडो की उम्र एवं संख्या का उचित मुआवजा बाबत नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/343 दिनांक 3.8.2021 से जारी अवार्ड को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 467 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम कावड का भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है किन्तु उक्त भूमि का अवाप्ति नोटिस दिनांक 3.8.2021 प्रार्थी व विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम जारी किया हुआ है जबकि उपरोक्त आराजियात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है जिसमे प्रार्थी द्वारा ही अमरूदो का बगीचा लगाया हुआ है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि पर लगे पेडों की उम्र व संख्या को कम दर्शित करके मुआवजा राशि तय की है जबकि प्रार्थी की भूमि में अमरूदो के पेड लगभग 8 वर्ष पुराने है जिनकी खसरा गिरदावरी संलग्न पेश है तथा प्रार्थी इसी अनुसार मुआवजा प्राप्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

का अधिकारी है तथा पारित अवार्ड मे अमरूदों के पेडो की संख्या कम बताकर मुआवजा राशि तय की गयी है उक्त आराजियात पर मे अमरूद्वों के 125 पेड सरसब्ज खडे है तदानुसार प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त मुआवजा बाबत प्रार्थी द्वारा पूर्व मे आपत्ति प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः ख0न0 467 रकबा 0.74 पर लगे हुए अमरूदो के पेडो सही संख्या एवं सही आयु के अनुसार मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थीग द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2028 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म चाही* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम मी डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख0न0 467 ग्राम कावड पर उगे हुए अमरूद्व के 45 पेड की आयु 3 वर्ष तथा 110 पेडो की आयु 5 वर्ष होने के कारण मुआवजा राशि बाबत हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम हिस्सा 1/2 का नोटिस जारी किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अत: प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना [illegible] खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से [illegible] अनुसार ग्राम कावड का उक्त रकबा 467 रकबा 0.74 है0 एनएच 148एन के निर्माण [illegible] है उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर हिस्सा है भूमि का मुआवजा [illegible] मे हिस्से अनुसार खातेदारान को दिया जा चुका है तथा भूमि पर स्थित परिसंरचना/155 अमरूद्वो के पेडो की राशि 3159270/– रू का अवार्ड नियमानुसार सर्वे उपरान्त जारी किया गया है। तथा हिस्से अनुसार प्रार्थी को

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दिनांक 21.10.2021 को तथा अप्रार्थी को 24.1.2021 को अवार्ड का भुगतान किया जा चुका है। जहॉ तक अमरूद्व के पेडों की संख्या एवं आयु का गलत निर्धारण बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अमरूद्वों के पेडो की आयु एवं संख्या का निर्धारण वन विभाग, सहायक निदेशक उद्यान विभाग सवाईमाधोपुर से करवाये गये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तय किया जाकर तदानुसार अवार्ड पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत अपने जवाब मे अंकित किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ख0न0 467 रकबा 0.74 वाके ग्राम कावड पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर हिस्सा है किन्तु उक्त भूमि पर उगे हुए अमरूदो के पेडो की संख्या हम अप्रार्थीगण की अधिक है। अर्थात हमारे हिस्स मे उक्त भूमि पर अमरूद्व के पेडो संख्या अधिक है इसलिए हमको अधिक पेडो के हिसाब से मुआवजा दिया जावे।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम कावड के ख0न0 467 रकबा 0.74 है0 एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार किया जा चुका है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अनुसार उक्त अवाप्त भूमि पर उगे हुए अमरूद्व के पेडो की आयु 3 वर्ष एवं 5 वर्ष की दर्शायी गयी है जबकि उक्त पेडो की आयु 8 वर्ष थी तथा उक्त पेडो की संख्या भी कम दर्शायी जाने बाबत कथन किया गया है कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 मे बगीचा दर्शाया गया है तथा उक्त पेडो का सर्वे 2018–2019 (सम्वत, 2075–76) मे हुआ था इसलिए सर्वे के समय पेडो की आयु लगभग 5 वर्ष ही बनती है इसके अतिरिक्त पेडो की संख्या खसरा गिरदावरी मे अंकित नही है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर पेडो की संख्या 155 से अधिक होना साबित हो सके। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 155 पेडो की अवार्ड राशि का भुगतान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा अपने कथन के समर्थन मे कोई विधिक साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उनके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस मे अंकित तथ्यों/दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष मे अमरूद्व के पेडो का अवार्ड विधिसम्मत पारित होना पाया गया है। अतःसक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को लिखवाया जाकर न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर